संख्या–आर–479 / 38–1–2019–07टी0आर0 / 2018

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 25 जून, 2019

विषयः– श्रेणी–1 के अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पारदर्शी स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 में नीति से आच्छादित श्रेणी–1 के अधिकारियों यथा परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त (श्रम रोजगार), उपायुक्त (स्वतः रोजगार) के स्थानान्तरण एवं रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध निम्नानुसार सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया हैः–

(1) नीति से आच्छादित श्रेणी–क के अधिकारियों का परफार्मेन्स अंक के आधार पर बनायी गयी जनपदवार सूची / रैकिंग को ग्राम्य विकास विभाग की बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे अधिकारी अपना परफार्मेन्स अंक / रैंक देख सकेगें।

(2) नीति से आच्छादित जिला विकास अधिकारी / परियोजना निदेशक एवं परफार्मेन्स के आधार पर जिला विकास अधिकारी / परियोजना निदेशक के पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त पाये गये उपायुक्त (श्रम रोजगार) एवं उपायुक्त (स्वतः रोजगार) के पद पर कार्यरत अधिकारियों की सूची ग्राम्य विकास विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(3) सर्वप्रथम परियोजना निदेशक / जिला विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारियों को उनके परफार्मेन्स / रैंकिंग के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए उन्हें परियोजना निदेशक / जिला विकास अधिकारी के रिक्त पदों में से चुनने का विकल्प दिया जायेगा।

(4) उक्त के उपरान्त परियोजना निदेशक / जिला विकास अधिकारी के बचे पदों को भरने के लिये प्रदेश में उपायुक्त (श्रम रोजगार), उपायुक्त (स्वतः रोजगार) के पदों पर कार्यरत एवं इच्छुक अधिकारियों को परफार्मेन्स के आधार पर विकल्प देने का अवसर दिया जायेगा। इन अधिकारियों को उपायुक्त (श्रम रोजगार) अथवा उपायुक्त (स्वतः रोजगार) के पद पर विकल्प दिये जाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा।

(5) नीति से आच्छादित उपायुक्त (श्रम रोजगार) एवं उपायुक्त (स्वतः रोजगार) को परफार्मेन्स के आधार पर जिला विकास अधिकारी / परियोजना निदेशक के पद पर विकल्प प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उन्हें उपायुक्त (श्रम रोजगार) एवं उपायुक्त (स्वतः रोजगार) में से विकल्प का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(6) मुख्यालय पर सम्बद्ध अधिकारी यदि फील्ड में जाने के इच्छुक होगे तो उन्हें अन्तिम में विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(7) जिस कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही / अभियोजन आदि प्रचलित है, उन्हें बाद में रिक्त पदों में से विकल्प दिये जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

2/–

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी प्रक्रिया को ग्राम्य विकास विभाग की सम्बन्धित बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(**अनुराग श्रीवास्तव**)
प्रमुख सचिव।

संख्या–आर–479(1)/38–1–2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर आयुक्त (मनरेगा), उ0प्र0 लखनऊ।

(2) प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) समस्त परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (श्रम रोजगार)।

(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**डा0 अम्बरीष कुमार सिंह**)
अनु सचिव।

संख्या—आर—479/38—1—2019—07टी0आर0/2018

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग—1 लखनऊ : दिनांक 25 जून, 2019

विषयः— श्रेणी—1 के अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पारदर्शी स्थानान्तरण प्रकिया के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019—20 में नीति से आच्छादित श्रेणी—1 के अधिकारियों यथा परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त (श्रम रोजगार), उपायुक्त (स्वतः रोजगार) के स्थानान्तरण एवं रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध निम्नानुसार सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया हैः—

(1) नीति से आच्छादित श्रेणी—क के अधिकारियों का परफार्मेन्स अंक के आधार पर बनायी गयी जनपदवार सूची/रैकिंग को ग्राम्य विकास विभाग की बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे अधिकारी अपना परफार्मेन्स अंक/रैंक देख सकेगें।

(2) नीति से आच्छादित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक एवं परफार्मेन्स के आधार पर जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक के पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त पाये गये उपायुक्त (श्रम रोजगार) एवं उपायुक्त (स्वतः रोजगार) के पद पर कार्यरत अधिकारियों की सूची ग्राम्य विकास विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(3) सर्वप्रथम परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारियों को उनके परफार्मेन्स/रैंकिंग के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए उन्हें परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी के रिक्त पदों में से चुनने का विकल्प दिया जायेगा।

(4) उक्त के उपरान्त परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी के बचे पदों को भरने के लिये प्रदेश में उपायुक्त (श्रम रोजगार), उपायुक्त (स्वतः रोजगार) के पदों पर कार्यरत एवं इच्छुक अधिकारियों को परफार्मेन्स के आधार पर विकल्प देने का अवसर दिया जायेगा। इन अधिकारियों को उपायुक्त (श्रम रोजगार) अथवा उपायुक्त (स्वतः रोजगार) के पद पर विकल्प दिये जाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा।

(5) नीति से आच्छादित उपायुक्त (श्रम रोजगार) एवं उपायुक्त (स्वतः रोजगार) को परफार्मेन्स के आधार पर जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक के पद पर विकल्प प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उन्हें उपायुक्त (श्रम रोजगार) एवं उपायुक्त (स्वतः रोजगार) में से विकल्प का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(6) मुख्यालय पर सम्बद्ध अधिकारी यदि फील्ड में जाने के इच्छुक होगे तो उन्हें अन्तिम में विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(7) जिस कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन आदि प्रचलित है, उन्हें बाद में रिक्त पदों में से विकल्प दिये जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी प्रक्रिया को ग्राम्य विकास विभाग की सम्बन्धित बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या–आर–479(1)/38–1–2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर आयुक्त (मनरेगा), उ0प्र0 लखनऊ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) समस्त परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (श्रम रोजगार)।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।